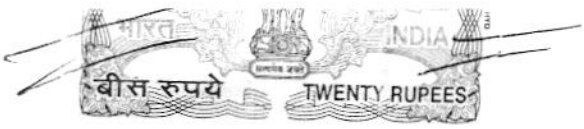

बीस रुपये TWENTY RUPEES

531

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी कमांक— निग - 1422 - I - 16 सन्—2016

श्रीमती रतिका देबी पत्नी हर्षबर्धन सिंह

नि0 गौरिहार तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0 प्र0 —— आवेदिका

बनाम

1— रानी सरोज कुमारी बेवा प्रताप सिंह निवासी

एफ0—62 प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा जिला आगरा उ0 प्र0.

2— हर्षबर्धन सिंह तनय स्व0 श्री भूपेन्द्र सिंह जूदेव

निवासी गौरिहार तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0 प्र0 —— अनावेदकगण

10रु. COURT FEE Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

विषय— निगरानी अन्तर्गत धारा— 50 म0प्र0भू0रा0सं0

संदर्भ— श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर जिला छतरपुर म0 प्र0 के अपीलक्रमांक—79/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक— 25/02/2016 से परिवेदित होकर।

मान्यवर,

आवेदिका द्वारा निम्न लिखित विनय सादर प्रस्तुत है कि :—

1— यह कि अनावेदिका कमांक—1 ने अनावेदक कमांक—2 के पक्ष में दिनांक—22/05/1993 को एक रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा लेख करा कर भूमि बिकृय करने के अधिकार दिये थे। तथा आवेदक कमांक—2 ने इस मुख्त्यारनामा के आधार पर विभिन्न लोगों को करीब—12 रजिस्टर्ड बिकृय—पत्र लेख कराये थे। तथा दो बिकृय—पत्र दिनांक—09/10/2014 को आवेदिका के पक्ष में तथा इसी मुख्त्यारनामा के आधार पर एक बिकृय—पत्र रामसेवक पटेल को लेख कराये थे तथा नगद प्रतिफल प्राप्त किया था। तथा बिकृयसुदा भूमि का कब्जा, बिकृय दिनांक को ही आवेदिका को सौंप दिया था। तब से आवेदिका काबिज होकर बिकृयसुदा भूमि (अपीलाधीन भूमि) पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का उदर पोषण कर रही है।

2— यह कि बिकृय—पत्र दिनांक— 09/10/2014 के आधार पर नामान्तरण पंजी कमांक—5 व 6 ग्राम गौरिहार में दिनांक — 0[illegible]/[illegible]/2014 को [illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-1422-एक/2016 जिला-छतरपुर

श्रीमती रतिका विरूद्ध रानी सरोज व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 79/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25-02-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

28/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य